

55

संख्या : 2898 / 1-10-2013-14(23)/04

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उ0प्र0 शासन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक: 19 अगस्त, 2013

विषय: आपदा राहत कार्यो हेतु लाइटिंग सिस्टम/रेस्क्यू ट्यूब/थ्रो बैग एवं स्ट्रेचर आदि उपकरणों का क्रय।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-पीएसी-तीन-514(3)-2013/1609, दिनांक 12.06.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में दैवी आपदा राहत कार्य के दृष्टिगत विभिन्न उपकरणों के क्रय हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन मांगी गयी कुल धनराशि रू0 49,00,743/- (रू0 उनचास लाख सात सौ तैंतालिस मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	उपकरण का नाम	प्रति कम्पनी	17 बाढ़ राहत कम्पनी हेतु	दर प्रति यूनिट	कुल व्ययभार
1	पोर्टेबुल इन्फलेटेबुल लाइटिंग सिस्टम	1	17	2,01,279	34,21,743
2	रेस्क्यू ट्यूब	18	306	3,000	9,18,000
3	रेस्क्यू थ्रो बैग	18	306	1,000	3,06,000
4	स्ट्रेचर	03	51	5,000	2,55,000
				कुल योग	49,00,743

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि से यदि कोई बचते सम्भावित हो तो उन्हें वित्तीय वर्ष के समापन के पूर्व नियमानुसार समर्पित कर दी जायें।
4. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जाये। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाये। प्रमुख सचिव गृह विभाग उ०प्र० शासन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो।
5. उक्त धनराशि से कय किये जाने वाले उपकरणों का रख-रखाव पुलिस के नियमित बजट से होगा, तथा उनको जिलाधिकारी/जिला आपदा अधिकारी (अपर जिलाधिकारी) एवं राहत आयुक्त संगठन (यू०पी०एस०डी०एम०ए०) के निर्देश पर आपदा प्रबन्धन हेतु सर्वदा तैयार/कार्यशील अवस्था में उपलब्ध कराया जायेगा।
- 6- व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,
(एल० वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : / 1-10-13-14(23)/04 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद
- 2- अपर पुलिस अधीक्षक, कृते पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पीएसी मुख्यालय, लखनऊ
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- गार्ड फाइल।

अज्ञा से,
(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।